नाम - राहुल गोयल
प्रश्नपत्र - II (इकाई - 1, 2, 3)
दिनांक - 14-02-2022

1 A संविधान सभा की लघु समितियो में से एक प्रेस गैलरी समिति थी। जिसकी प्रमुख उषा नाथ सेन थी।

1 B आनंदपुर साहिब संकल्प वर्ष 1973 में पारित हुआ था। इसके तहत पंजाब को एक स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया जाना था

1 C भारत में जनहित याचिका के जनक न्यायमूर्ति श्री पी एन भगवति को कहा जाता है।

1 D प्रिवी पर्स भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता पूर्व के राजपरिवारो को दी जाने वाली विशेष सुविधा थी जिसे 1970 में 26 वे संविधान संशोधन से समाप्त किया गया।

1 E अनुच्छेद 43 A संविधान में 42 वे संशोधन 1976 द्वारा जोडा गया जिसके तहत उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारो का भाग लेना शामिल है।

1 F NSCN का पूर्ण रूप नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड है। यह एक अलगाववादी संगठन है, जो स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर रहे है।

1 G राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में स्थापित सरकारी सलाहकारी निकाय है जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।

1 H एनजीओ दर्पण 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को एक यूनिक आईडी प्रदान कर एक मंच पर लाने का प्रयास है।

[I] [I] अटल टिंकरिंग लैब्स केन्द्र सरकार के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) की पहल है जिसमें हाई स्कूल के छात्रों में एक अभिनव मानसिकता का विकास किया जायेगा।

[J] [J] रोज बेकर एक ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी, गणितज्ञ व सांख्यकीविद हैं।

[L] [K] विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) 1973, विदेशी मुद्रा संसाधनो के संरक्षण व सदुपयोग करने के लिये लाया गया था। इसे 1999 मे फेमा से प्रतिस्थापित करदिया।

[J] [L] जयंती पटनायक पूर्व सांसद व राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष (1992 - 95) थी।

[J] [M] वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मतदाता को उसके मत की पुष्टि कर मतदान प्रणाली को मजबूत बनाता है।

[J] [N] पुंगन समिति का ~~गठन~~ गठन 1969 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने हेतु किया। इसने इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की।

[J] [O] जिला उपभोक्ता फोरम का गठन राज्य सरकार करती है यह एक करोड़ तक के मामले सुन सकता है।

Q A सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत है क्योंकि यहाँ-

→ सभी निर्णय व कार्यवाहीयां लिखित होते है और उन्हें साक्ष्य रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

→ अधीनस्थ न्यायाल इसके निर्णयों को साक्ष्य रूप में मानती है।

→ और विधायीका व कार्यपालिका भी नियम के रूप में मानती है।

→ न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दण्ड दे सकता है

→ संविधान का अनुच्छेद 129 इसे अभिलेख न्यायालय मानता है।

Q B लोक अदालत को सीपीसी, 1908 के अन्तर्गत सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ प्राप्त है, जो निम्न है -

→ किसी गवाह को समन भेजना व शपथ पर उसकी समीक्षा
→ किसी दस्तावेज को प्राप्त व प्रस्तुत करने का अधिकार। जैसा।
→ शपथ पत्रों पर साक्ष्यों की प्राप्ति।
→ वे समस्त शक्तियाँ जो सिविल न्यायाल को प्राप्त होती है।
→ लोक अदालत में होने वाली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता, 1860 के तहत निर्धारित नियमों के मुताबिक अदालती कार्यवाही माना जाएगा।

Q C उद्देश्य संकल्प पाकिस्तान की संविधान सभा द्वारा मार्च 1949 को पाकिस्तानी रियासत व हुकुमत के नीती निर्देशक के रूप में पारित किया गया। इसके अनुसार पाकिस्तानी संविधान का आधार इस्लामी लोकतंत्र व सिद्धान्त होंगे।

दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय संविधान सभा में रखा जिसे सर्व सम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसमें अल्पसंख्यकों के धार्मिक, सामाजिक व अन्य वैध अधिकारों की रक्षा की बात कही गई।

2 D संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वे संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। 44 वें संविधान संशोधन से पहले यह अनुच्छेद -31 के अन्तर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300(A) के अन्तर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। जब यह मौलिक अधिकार था तब यह देश के विकास (भूमि-अधिग्रहण) मे बाधक था।

2 E देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है जिन्हे आचार संहिता कहते है। लोकसभा / विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। यह चुनाव की तारीख घोषित होने से चुनाव परिणाम आने तक लागू रहती है। इस दौरान सरकार कोई नया निर्माण कार्य या लोकलुभावन नीति नही ला सकती। इसे और यूज़र-फ्रेंडली बनाने हेतु चुनाव आयोग ने C-VIGIL एप लोंच किया।

2 F "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल" हिंद महासागर क्षेत्र में संभावित चीनी इरादों से संबंधित एक भू-राजनीतिक सिद्धान्त है, जो चीनी मुख्य भूमि से सुडान पार्ट तक फैला हुआ है। वर्ष 2017 में चीन ने जिबुती में अपनी पहली विदेशी सैन्य सुविधा शुरू की और वह अपने महत्वकांक्षी बेल्ट एण्ड रोड इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में श्री लंका, बांग्लादेश, अफ्रीका के पूर्वी तट आदि क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा में निवेश कर रहा है। ये गतिविधियां चीन की भारत को घेरने से संबंधित हैं, जिसे "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल" कहा जाता है।

2 G हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने निर्णय लिया है कि वर्ष 1992 में नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा आरक्षण की 50% सीमा (इंद्रा साहनी निर्णय) के निर्णय को बाद में हुए संवैधानिक संशोधनों तथा सामाजिक परिवर्तनों के कारण संशोधित किया जाना चाहिए। कई राज्यों जैसे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण, म.प्र. में ओबीसी आरक्षण, राजस्थान आदि राज्यों में आरक्षण की मांग 50% की सीमा का उल्लंघन कर रही है 103 वां संविधान संशोधन में (EWS) भी 50% की सीमा का उल्लंघन हुआ है।

2 H भारतीय संविधान में 73 वे संविधान संशोधन, 1992 पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसमें महिलाओं 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, कई राज्यो जैसे बिहार, म.प्र. आदि में यह सीमा 50% है। इससे महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण तो हुआ है परन्तु अपेक्षानुसार नहीं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अशिक्षित, अधिकारों के प्रति गैर-जागरूक, बेरोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर है अत: महिलाओं का वास्तविक सशक्तिकरण शिक्षा, जागरूकता, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना कर किया जा सकता है।

2 I भारत में निर्णय प्रक्रिया में सोसल मीडिया के माध्यम से नागरिकों को जोड़ने या उनसे सुझाव लेने की दर बढ़ती जा रही है जो एक अच्छा संकेत है। भारत मे लगभग 40 करोड़ सोशल मीडिया यूज़र है। वर्तमान में सरकार कई मामलों जैसे पद्म अवार्ड, बजट आदि के संबंध में नागरिको सुझाव माँगे। भारत में लगभग 62 करोड़ इंटरनेट उपयोग कर्ता हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रोडबैंड पहुंचाकर इसे और बढ़ाकर निर्णय प्रक्रिया अधिक नागरिकों को शामिल कर निर्णय को और सार्थक बनाया जा सकता है

2 J स्वयं सहायता समूह ऐसे समूह हैं जो स्वेच्छा से किसी विशेष कार्य के लिया बनाया गया एक छोटा समूह है। इसमे 10 - 20 सदस्य हो सकते हैं। ये सदस्य बचत रचना व सशक्तिकरण के उपकरणों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी करते हैं। इनका उद्देश्य उद्यमों की स्थापना, लघु बचत को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, जातिगत विषमता दूर करना, महिला सशक्तिकरण आदि होते हैं।

3 A ❋ बदलती परिस्थितियों और जरूरतों के साथ स्वयं को समायोजित करने के लिए भारत का संविधान इसके संशोधन का प्रावधान करता है। संविधान के भाग-20 में अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जिसकी आलोचना निम्न आधारों पर कर सकते हैं -

- संविधान में संशोधन प्रक्रिया शुरू करने की शक्ति संसद के पास है। राज्य विधायिका एक मामले को छोड़कर (राज्य विधानपरिषदों के निर्माण व समाप्ति का संसद से अनुरोध करने का प्रस्ताव पारित करना) संविधान में संशोधन के लिए कोई विधेयक या प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर सकती है।
- संविधान के प्रमुख भागों में अकेले संसद द्वारा यातो विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। केवल कुछ ही ~~मामले~~ मामलों में राज्यों की सहमती ली जाती है वो भी आधे राज्यों की
- संविधान उस समय सीमा को निर्धारित नहीं करता है जिसके भीतर राज्य विधायिकों को उन्हें प्रस्तुत किये गये संशोधन की पुष्टि करना चाहिये या अस्वीकार।
- संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने पर गतिरोध होने की स्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
- संशोधन की प्रक्रिया एक विधायी प्रक्रिया के समान है। विशेष बहुमत को छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयकों को संसद द्वारा सामान्य ~~विधेयकों को संसद द्वारा सामान्य~~ विधेयकों की तरह ही पारित करना होता है।

संशोधन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान बहुत ही स्थूल हैं। इसलिये वे मामलों को न्यायपालिका तक ले जाने की व्यापक गुंजाइश प्रदान करते हैं। इन दोषों के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रक्रिया सरल और आसान साबित हुई है और समाज की बदलती जरूरतों व परिस्थितियों को पूरा करने में सफल रही है।

3 B

न्यायिक समीक्षा विधायी अधिनियमनों तथा कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता की जांच की न्यायपालिका की शक्ति है जो केन्द्र और राज्य सरकारों पर लागू होती है। परीक्षणोपरांत यदि पाया गया कि उनसे संविधान का उल्लंघन होता है तो उन्हें अवैध, असंवैधानिक तथा अमान्य घोषित किया जा सकता है और सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती।

सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मुकदमों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग किया, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित करना।

वर्ष २०१५ में न्यायपालिका में न्यायाधीशों की ~~नियुक्ति~~ नियुक्ति प्रक्रिया को त्वरित तथा समग्र बनाने के लिए तथा न्याय प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु संसद ने एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करने के लिये 99 वें वां संविधान संशोधन अधिनियम २०१५ पारित किया।

इस आयोग का उद्देश्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को बराबर का अधिकार देना है। इससे न्यायपालिका में कार्यपालिका के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त हो गया जिससे न्याय व्यवस्था प्रभावित हो सकती थी तथा यह अनुच्छेद-50 में वर्णित कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की भावना के अनुकूल नहीं है। इसमें न्यायपालिका कार्यपालिका के अधीनस्थ में आ सकती है।

परिणाम स्वरूप 5 जनवरी 2015 को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका में इस कानून को निरस्त करने की मांग की गई। न्यायमूर्ति जगदीश केहर की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ ने अक्टूबर २०१५ को ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 99 वें वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया तथा कॉलेजियम व्यवस्था को पुनः बहाल कर दिया गया।

3 c भारतीय समाज अपनी प्रकृति और रचना में अत्यंत विविध है। इसलिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। जिनमें जाति व धर्म सर्वप्रमुख हैं-

जाति - जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जातियों का राजनीतिकरण तथा राजनीति में जातिवाद भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। रजनी कोठारी के अनुसार "भारतीय राजनीतिक जातिवादी है तथा जाति राजनीतिकृत है।" इसका उदाहरण वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के चुनाव में देखा जा सकता है -

यही कारण है कि यहाँ भाजपा और सपा दोनो ही छोटे दलों से गठबंधन पर जोर देती हैं। यहां पहले नंबर पर ओबीसी है जो 42 से 45 फीसदी है, दलित 21-22% सवर्ण 18-20% है। सभी पार्टियां अपना मेनीफेस्टो इन्हीं जातिगत समीकरणों के आधार पर करती है। यूपी में अनुसूचित जाति व जनजाति की 86 सीटें आरक्षित हैं। जिन्हें कोई पार्टी गवाना नहीं चाहेगी। इसबार बसपा दलित-ब्राह्मण को एक साथ लाने के वादे पर चुनाव लड़ रही है।

धर्म → धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता। अनेक सांप्रदायिक पार्टियों के होने से धर्म का भी राजनीतिकरण हुआ है। जैसे वर्तमान UP चुनाव में बीजेपी राम मंदिर, काशी विश्व नाथ कोरिडोर के मुद्दे पर हिंदु की भावनाओं को अपने पक्ष में करना चाहती है तो वहीं बसपा ने बड़ी मात्रा में मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुस्लिम बहुल क्षेत्र है यहाँ 9 जिलों में तो मुस्लिम 55 फीसदी के आसपास हैं। यहाँ AIMIM का प्रभाव अधिक है। उ.प्र. मे 20% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं।